पत्र संख्या/आर के/ एफ० सी० ए०/
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

दिनांक शिमला-2

प्रेषक: वन मंडलाधिकारी(ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला।

प्रेषित: नोडल अधिकारी एवं प्र० अरण्यपाल
(एफ० सी० ए०) हि० प्र०

विषय:- **Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/150852/2022).**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उक्त सड़क की सैन्द्धातिक स्वीकृति क्षेत्रीय कार्यालय ,चंडीगढ़ ,उप - कार्यालय ,शिमला के पत्र सं0 I/82443/2024 दिनांक 18.09.2024 को प्रदान की गई है ,जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

शर्तें	उत्तर
A. वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवष्यकता है :-	
i. प्रयोक्ता ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए ।	CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की कुल राशि ₹ 99,666/- दिनांक 23 /07 /2024 को टोकन संख्या RBI0872534891845 के तहत , को जमा की गयी , इसके अतिरिक्त विभागीय शुल्क व पड़ो की लागत राशि ₹ 7,04,579 दिनांक 30/09/2024 को HIMGRN संख्या B24I7857 के तहत जमा की गयी। उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र संलगित है।
ii. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। इस सम्बन्ध में बचनबद्धता संलगित है।
iii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **0.4614** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, **0.4614** हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु 4,93,453/- जमा कर दी है। उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र संलगित है।
iv. प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी ने सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में 6,35,189/- जमा कर ली गई है।
v. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) मे अपलोड की गई।
vi. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चिश्रत करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहि किया जाएगा ।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जा चुकी है ।
vii. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चिश्रत करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका	वन मण्डल शिमला (ग्रामीण) के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है

है, S-I अनुमोदन की शर्तो के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नही है। इस आशय का एक वचन पत्र कि **"इस मंडल के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है "** प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा ।	
viii. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा ।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलगित है।
B.	
i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की सख्यां किसी भी रुप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है ।
iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 0.43 है0 के पौधारोपण का कार्य Block /Compartment/Survey NO. -UPF- 13 Ogli Summa, Village Ogli Summa, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division , Distt. Shimla , Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा ।	प्रमाणित किया जाता है कि तहसील व जिला – शिमला, हिमाचल प्रदेश में पीएचसी बडेहरी गुरशाली से गांव दावथ तक संपर्क सड़क का निर्माण 0/0 से 1/500 तक सम्पर्क सड़क के निर्माण के हेतु अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला ग्रामीण मंडल, धामी के पक्ष में हस्तांरित 0.2143 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में 0.4 हैक्टेयर वन भूमि में किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 200 Tall plants के पौधारोपण का कार्य **Block/compartment/Survey NDPF Chanwag, Village-Chanawag, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh,** पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन प्रदान किया जा चुका है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा यथासंभव स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
iv. प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रस्तावित CA land, राज्य वन विभाग के नाम है जो कि खसरा न o 1170/1094 मोहाल चनावग, NDPF- चनवाग, , भज्जी वन रेंज, शिमला वन प्रभाग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा उससे संबंधित दस्तावेज, सलंगन है।
v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत Degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी ।	वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई–ग्रीन **वॉच** पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत Degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड कर दी जाएगी । इस संबंध में वचनबद्धता सलंगन है।
vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिए नहीं किया जायेगा।तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
vii. माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा की जाएगी इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
viii. State Govt shall submit the correct & Legible revised Component wise breakup (Forest/Non-forest area), duly authenticated by competent authority.	In this regard User Agency submitted that correct & Legible revised Component wise breakup (Forest/Non-forest area), duly authenticated by competent authority

ix. Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22 (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	In this regard User Agency has deposited sum of 0.5% of the project cost in the CAMPA account
x. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले– आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले– आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xiii. वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किया जाएगा जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी जमा करेगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है .
xv. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xvi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके । तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xvii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xviii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों दवारा चिन्हित की जाएगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों दवारा चिन्हित की जाएगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है

xix. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xx. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxii. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण दवारा केवल परियोजना स्थल पर् ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण दवारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxiii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह–समाप्ति होगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के उपयोगकर्ता एजेंसी सह–समाप्ति होगी। इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है
xxiv. अन्य कोइ भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि उपयोगकर्ता एजेंसी अन्य कोइ भी शर्त जो कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जाने वाली शर्तों से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है.
xxv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्तावच पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबदधता दी है .
xxvi. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (सरंक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 और वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (सरंक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 और वन (सरंक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

-Sd-

वन मण्डल अधिकारी (ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला

पृष्ठांकन संख्या/ आर के/ एफ० सी० ए०/ 1257 **दिनांक शिमला-2** 10-06-2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, धामी और उनसे अनुरोध है कि कृपया उपयोगकर्ता एजेंसी के साथ-साथ प्रभागीय वन अधिकारी (ग्रामीण), वन प्रभाग, शिमला से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई सैद्धांतिक (चरण-I) अनुमोदन में लगाई गई शर्तों के संबंध में उपक्रमों को अपलोड करना सुनिश्चित करें क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसी के पास परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से इसे अपलोड करने की पहुंच है।

वन मण्डल अधिकारी (ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance — Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 29-Apr-2025 — **Treasury Copy**

HIMGRN **B25D116783** Date:- 23-04-2025 01:09:59PM

Department Forest

BarCode

Period 23-04-2025 To 23-04-2025

DDO SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA

Head	₹Amount
0406-01-101-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTMEN	17442

Total/Net Amount **17442**

In words Seventeen Thousand Four Hundred Forty Two

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENT TO COMPENSATORY FORESTATION -Departmental Charges of Diversion of 0.4614 has of Forest land in favour of link raod from PHC BAdehri Gurshalli to Village Dawath

Remitter Name Divisional Forest Officer (Rural) Shimla

Address Mist Chamber Khalini SHimla-2 Mob: 8544786031

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No **HIMGRN** B25D116783

Amount ₹ 17442

Bank MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA

Cheque-DD-No.

Booked by Treasury SML00[F0406000058] on date 28/04/2025

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance — Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 29-Apr-2025 — **Dept Copy**

HIMGRN **B25D116783** Date:- 23-04-2025 01:09:59PM

Department Forest

BarCode

Period 23-04-2025 To 23-04-2025

DDO SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA

Head	₹Amount
0406-01-101-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTMEN	17442

Total/Net Amount **17442**

In words Seventeen Thousand Four Hundred Forty Two

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENT TO COMPENSATORY FORESTATION -Departmental Charges of Diversion of 0.4614 has of Forest land in favour of link raod from PHC BAdehri Gurshalli to Village Dawath

Remitter Name:- Divisional Forest Officer (Rural) Shimla

Address:- Mist Chamber Khalini SHimla-2 Mob: 8544786031

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No **HIMGRN** B25D116783

Amount ₹ 17442

Bank MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA

Cheque-DD-No.

NIC-HP B25D116783 e-Challan (IFMS)

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance — Treasuries, Accounts & Lotteries

Valid Upto 29-Apr-2025 — **Remmiter Copy**

HIMGRN **B25D116783** Date 23-04-2025 01:09:59PM

Department Forest

BarCode

Period 23-04-2025 To 23-04-2025

DDO SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA

Head	₹Amount
0406-01-101-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME	17442

Total/Net Amount **17442**

In words Seventeen Thousand Four Hundred Forty Two

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENT TO COMPENSATORY FORESTATION -Departmental Charges of Diversion of 0.4614 has of Forest land in favour of link raod from PHC BAdehri Gurshalli to Village Dawath

Remitter Name:- Divisional Forest Officer (Rural) Shimla

Address:- Mist Chamber Khalini SHimla-2 Mob: 8544786031

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No **HIMGRN** B25D116783

Amount ₹ 17442

Bank MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA

Cheque-DD-No.

NIC-HP B25D116783 e-Challan (IFMS)

ANNEXURE -

Full Title of the Project:	**Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh**
Online Proposal No.	**FP/HP/ROAD/150852/2022**
Proposal Submission Date	**05.01.2022**

Certificate

Point No. A (ii)

प्रमाणित किया जाता है माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी

Place: Shimla
Dated: 6.06.2025

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

Full Title of the Project: **Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/150852/2022).**

Online Proposal No. **FP/HP/ROAD/150852/2022**

Proposal Submission Date **05.01.2022**

Certificate

Point No. A (iii)

Certified that the amount of Net Present Value stands recovered with respect to the proposal for the Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500),falls within the jurisdiction of Shimla Forest Division (Rural), Tehsil and District - Shimla, Himachal Pradesh, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil & District - Shimla, HP in compliance to the order dated 28th March, 2008 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) number 202 of 1996 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India, the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) vide letter No. 5-3/2011-FC (Vol.-I) dated 6th January, 2022, the detail of which is as follows :-

Eco Value Class	Forest Type	Rate	Area in hectare	Total amount.
Class VI	Open Forest	10,69,470/-	0.4614	Rs. 4,93,453/-

Place: Shimla
Dated: 10/6/2025

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

Full Title of the Project:	**Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh**
Online Proposal No.	**FP/HP/ROAD/150852/2022**
Proposal Submission Date	**05.01.2022**

Certificate

Point No. B (iii)

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील व जिला – शिमला, हिमाचल प्रदेश में पीएचसी बडेहरी गुरशाली से गांव दावथ तक संपर्क सड़क का निर्माण 0/0 से 1/500 तक सम्पर्क सड़क के निर्माण के हेतु अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला ग्रामीण मंडल, धामी के पक्ष में हस्तांरित **0.4614** हैक्टेयर वन भूमि के एवज में 0.4 हैक्टेयर वन भूमि में किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 200 Tall plants के पौधारोपण का कार्य **Block/compartment/Survey NDPF Chanwag, Village-Chanawag, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh,** पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन प्रदान किया जा चुका है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा यथासंभव स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

Place: Shimla
Dated: 10/1/2025

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

Full Title of the Project:	**Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh**
Online Proposal No.	**FP/HP/ROAD/150852/2022**
Proposal Submission Date	**05.01.2022**

Certificate

Point No. B (IV)

प्रस्तावित CA land वन विभाग के नाम है संबंधित दस्तावेज, सलंगन है- (पृष्ठ: 1)

Place: Shimla
Dated: 1-6-2025

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

एस.सी.ए रसीद संख्या: 5030154929852296

: शिमला
: उप तहसील धामी
: मान्दरी
: घनावग
: 232

नाम : .
पिता/पति : .

नकल शुल्क : 1.00
सेवा शुल्क : 20
कुल शुल्क : 21

मोहाल : घनावग

साल : 2018-2019

रकबा इकाई: है-आ-सै

खेवट नं. / नाम पत्ती या तरफ मय नाम नम्बरदार मुतावला व शरह मुआमलात व हदूद	खतौनी नं. / लगान जो मुजारा अदा करता है व तफसील शरह तदाद	नाम मालिक व एहवाल	नाम काश्तकार व एहवाल	नाम थाह व दीगर वसायल आबपाशी	नम्बर खसरा हाल	रकबा हर खेत व मिजान खाता मय किस्म अराजी	हिस्सा या पैमाना हकीयत व तरीका बाछ	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65 मिल	130 मिल	सरकार हिमाचल प्रदेश	कब्जा वन विभाग		1170/1094	03-16-15	कब्जा व पड़ता	
60	125				धार	च.बिला इखताल	बशरह खेवट न. (1)	
बशरह खेवट न. (1)	(							
3.37 साल 2.04 स्वाई 1.33 बखाते हदूद								
0.00 साल 0.00 स्वाई 0.00 नाबखाते हदूद								
3.37 साल 2.04 स्वाई								

लोक मित्र केन्द्र घनाव.
मो0 9459216463

निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनाँक: 30-Jan-2025

ANNEXURE -

Full Title of the Project:	**Diversion of 0.4614 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh**
Online Proposal No.	**FP/HP/ROAD/150852/2022**
Proposal Submission Date	**05.01.2022**

Certificate

Point No. B (V)

प्रमाणित किया जाता है राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी|

Place: Shimla
Dated: 10.06.2025

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) i	प्रयोक्ता एजेंसी से सी ए स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	शर्त मंजूर

Vipi Sharma
सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशासी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) ii	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा WP (c) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।	शर्त मंजूर

Vipi Sharma
सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशासी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) iv	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑन लाइन माध्यम से CAMPA fund में जमा करवाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशासी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) v	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e –portal (https://parivesh.nic.in /) में अपलोड की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) vi	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सी ए लागत , एन पी वी , आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	वचन पत्र
(A) vii	मैं वचन देता हूँ कि इस मण्डल में प्रस्तावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य प्रस्ताव , जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तथा S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए लंबित नहीं है।

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(A) viii	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) i	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों कि संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों कि कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of f...
Shimla R...

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) iii	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 200 Tall plants के पौधारोपण का कार्य Block /Compartment /Survey NO. NDPF Chanwag, Village-Chanwag, Bhajji Forest Range, Shimla Forest Division, Distt. Shimla , Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथा संभव स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रुप से रोपित किए जायेंगे एव किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) iv	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात IFA 1927 के अंतर्गत RF/PF में अधिसूचित करा कर, ततसंबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उदेश्य के लिये नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा करना सुनिश्चित करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	वचन पत्र	मंजूर / नामंजूर
(B) viii	State Govt. shall submit the correct & Legible revised component wise breakup (Forest/Non-forest area), duly authenticated by competent authority.	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) ix	Soil and Moisture Conversation plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in case where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 50% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage-I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account and same may be intimated to the MoEF&CC for the purpose of obtaining approval under the para-1.22(ii) of the Van(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) x	एवेन्यू वृक्षारोपण , सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आइ आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B)xi	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी , विभागया व्यक्ति विशेष को हस्तातरित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xii	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xiii	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xiv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	शर्त मंजूर

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xv	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xvi.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत : वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी , ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xvii	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xviii.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फुट ऊंचे सिमेन्ट के खंबों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xix.	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटींग साईनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xx	प्रयोक्ता एजेंसी सी डब्ल्यूएलडब्ल्यू/एन बीडब्ल्यूएल /एफएसी /आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र /वन क्षेत्र में उपयुक्त अन्डर / ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxi	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxii.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा । मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पतन नहीं किया जाएगा	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxiii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी , इसके उपरांत पुन: यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो , के सह – समाप्ति होगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxiv.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण , सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 0.4614 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HPPWD, Shimla Rural Division, Dhami for the construction of link road from PHC Badehri Gurshalli to village Dawath (Km. 0/00 to 1/500) falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and Distt. Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/150852/2022).

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी बी / 06/111 / 2022 दिनांक 18 /09 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxv	यदि अन्य कोई संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।	शर्त मंजूर

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxvi.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम , 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन)अधिनियम , 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम , 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जतोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जतोग

अधिशाषी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

Full Title of Project:-Diversion of 04614 ha. Forest land in favour of Executive Engineer Himachal Pradesh Public Works Department Shimla Rural ,Division Dhami for the construction of link road from PHC Badhari Gurshalli to Village Dawath (Km 0/00 to 1/500) falls with in the jurisdiction of Shimla(Rural) Forest Division Tehsil and District Shimla H.P (Online Proposal No FP/HP/ROAD/150852/2022).

Online Proposal No:- FP/HP/ROAD/150852/2022.

Proposal Submission Date:- 05.01.2022

Revised Component wise breakup

Point No B (viii)

Correct and legible revised component wise breakup is as under

1. Forest Land = 00-46-14 ha. (Road Construction)
2. Private Land = 00-13-77 ha. (dumping Site)

Assistant Engineer,
Jutogh Sub Division,
H P PWD Jutogh (Totu).

Executive Engineer,
Shimla Rural Division,
HP PWD Dhami.

SCAN AnyScanner

HIMACHAL PRADESH
FOREST DEPARTMENT

SOIL AND MOISTURE CONSERVATION

IN LIEU OF DIVERSION 0.0442 HAC OF FOREST LAND IN FAVOUR OF EXECUTIVE ENGINEER RURAL HPPWD DIVISION DHAMI SUB THE DHAMI DISTT SHIMLA HP FOR THE CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM PHC BADHERI GURSHALI TO VILLAGE DAWATH (km 0/0 to 1/500) TEHSIL SHIMLA RURAL FOREST DIVISION, DISTRICT SHIMLA HP (Online Proposal No FP/HP/ROAD/150852/2022)

Soil and Moisture Conservation Plan

For the Diversion of 0.0442 Ha Forest Land in Favor of Executive Engineer, Himachal Pradesh Public Works Department, Shimla Rural Division, Dhami For Construction of Link Road from PHC Badheri Gurshali to Village Dawath (km 0/0 to 1/500)Within the Jurisdiction of (Rural) Forest Division, Tehsil and District, Shimla,Himachal Pradesh(Online Proposal No FP/HP/ROAD/150852/2022)

---

1. Introduction

The construction of the link road from PHC Badheri Gurshali to Village Dawath (km 0/0 to 1/500) necessitates the diversion of 0.0442 hectares of forest land under the jurisdiction of the Rural Forest Division of Shimla. The region is characterized by fragile soil strata, steep slopes, and a highly variable rainfall pattern, all of which contribute to land degradation. Additionally, uncontrolled grazing, unscientific agricultural practices, and road construction activities exacerbate soil erosion, loss of vegetation, and overall ecological instability.

The goal of this Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) is to mitigate the adverse environmental impacts of the proposed development while promoting sustainable land management practices. This will ensure the continued protection of soil, moisture, and forest cover in the region.

2. Factors Contributing to Degradation

The key factors leading to soil degradation in this area are as follows:

1. **Fragile Soil Strata**: The region is dominated by fragile, shallow, and rocky soils that are highly susceptible to erosion, particularly on steep slopes.
2. **Steep Slopes**: The steep terrain increases surface runoff and promotes soil erosion, making the area prone to landslides during heavy rainfall.
3. **Heavy Rainfall for Short Periods (Monsoon)**: The region experiences intense rainfall during the monsoon season, leading to flash floods, soil erosion, and reduced water retention capacity.
4. **Loss of Forest Cover**: Deforestation and loss of vegetative cover have led to reduced soil stability, causing an increase in soil erosion and loss of soil fertility.
5. **Uncontrolled Grazing**: Overgrazing by livestock has contributed to the depletion of vegetation cover and compacted soil, exacerbating erosion.
6. **Unscientific Agriculture**: Traditional farming practices, such as cultivation on steep slopes without adequate soil conservation measures, have led to soil degradation and reduced agricultural productivity.
7. **Unscientific Mining and Road Construction**: Unsustainable mining activities and construction of roads without proper soil and moisture conservation measures have disrupted the natural water flow and vegetation cover, leading to further degradation.

3. Objectives of the Soil and Moisture Conservation Plan

The primary objectives of this Soil and Moisture Conservation Plan are:

- To conserve moisture and regulate the flow of water in nallas and streams within the locality.
- To improve land capability and moisture regimes in the area.
- To prevent further land degradation by adopting appropriate, need-based soil conservation works.
- To enhance and restore forest cover in the region, promoting the establishment of protective vegetative cover.
- To promote the sustainability of soil conservation efforts through a projectized approach, ensuring long-term environmental stability.

4. Proposed Soil and Moisture Conservation Measures

4.1. Erosion Control Measures

- **Check Dams and Nalla Plugging and Trenches**: Small check dams, nalla plugging, trenches and silt traps be constructed at strategic points along watercourses to control water flow, reduce erosion, and prevent flooding during the monsoon.

4.2. Projected Outcomes and Benefits

- **Reduction in Soil Erosion**: The measures outlined in this plan will significantly reduce the risk of soil erosion, particularly during the monsoon season.
- **Improved Moisture Retention**: The implementation of appropriate soil conservation methods will increase the moisture-holding capacity of the soil, supporting both agriculture and natural vegetation growth.

6. Conclusion

The proposed Soil and Moisture Conservation Plan aims to mitigate the negative impacts of the road construction project while ensuring the long-term sustainability of the region's natural resources. By addressing the primary causes of land degradation and implementing effective conservation measures, this plan will help in restoring ecological stability and improving the quality of life for local communities. The efforts outlined herein will contribute to a balanced approach between development and environmental conservation in the hilly terrain of Himachal Pradesh.

SOIL AND Moisture CONSERVATION (SMC)MEASURES IN RESPECT OF SHIMLA RURAL FOREST DIVISION IN LEU OF CONSTRUCTION OF LINK ROAD FROM PHC BADHERI GURSHALI TO VILLAGE DAWATH (km 0/0 to 1/500) IN DHAMI DIVISION IN LIEU OF DIVERSION 0.0442 HAC OF FOREST LAND

Sr. No.	Name of Component and sub activity	Range	
	Soil moisture and conservation works	Physical	Financial(Rs)
1	Trenches	85 No.	42070/-

Block Forest Officer
Tara Devi

Range Forest Officer
Forest Range Office, Tara Devi
TUTU

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA